अचेबर मौर्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

13 दिसंबर, 2007

[एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.]

सेवा कानूनः

उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम, 1981:

नियम 29- शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु-संबंधित दावा 'सत्र लाभ'- अभिनिर्धारित किया गयाः आयु प्राप्त करने वाले शिक्षक 30 जून को सेवानिवृत्ति, के लाभ का हकदार नहीं होगा विस्तारित अवधि-कट-ऑफ तिथि का निर्धारण-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 और 16 प्रशासनिक कानून-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-अधिवर्षिता-अभिनिर्धारित किया गया: एक व्यक्ति सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर स्वचालित रूप से सेवानिवृत्त होता है- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत ऐसे मामले में लागू नहीं होते हैं।

अपीलार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक था। उसकी जन्म तिथि 01.07.1943 थी। उसे 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होना था। उन्होंने परंतुक के संदर्भ में 'सत्र लाभ' का दावा किया

आर. 29 उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम, 1981 यह तर्क देते हुए कि जैसा कि वह 1.7.2003 पर सेवानिवृत्त होगा, वह होगा 'सत्र लाभ' के हकदार हैं और इस प्रकार वर्ष के अंत तक जारी रहेंगे। शैक्षणिक सत्र (यानी जुलाई से 30 जून तक)। उनकी रिट याचिका और रिट अपील खारिज होने के बाद, उन्होंने तत्काल अपील दायर की।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया:-

1.1. एक व्यक्ति उसके जन्मदिन की सालगिरह के पहले दिन एक निर्दिष्ट आयु प्राप्त करता है। यह क्षेत्र में और उसके अभाव में कार्य करने वाली क़ानून की कसौटी सामान्य कानून सिद्धांत पर निर्धारित किया जाना चाहिए। [पैरा 10 और 12] [572-एफ; 573-सी]

प्रभु दयाल सेस्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, ए.आई.आर (1986) एससी 1948, पर भरोसा किया।

री शूरी सेवरी बनाम शूरी एल.आर., (1918) 1 सीएच. 263 और रेक्स बनाम उपहास एल.आर., (1930) 1 के.बी. 741, संदर्भित।

हैल्सबरीज़ लॉज़, चौथा संस्करण पुनः प्रकाशन, पृष्ठ 209, का उल्लेख किया गया है।

1.2. सहायक शिक्षक की सेवा के नियम और शर्तें उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित हैं, 1972 और उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम, 1981 इसकी धारा 19

की उप-धारा (1) के तहत बनाया गया है। संदर्भ में नियम 29, एक शिक्षक को उस तारीख को सेवानिवृत्त होना है जिस दिन वह 60 वर्ष पूरे करता है इस प्रकार, महीने के अंतिम दिन जब व्यक्ति का जन्म होता है।

[पैरा-7] [571-एफ, जी]

1.3. सेवा की विस्तारित अवधि प्राप्त करने का लाभ एक कानून द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। विधानमंडल को कट ऑफ तिथि तय करने का अधिकार है। कानून द्वारा निर्धारित एक कट ऑफ तिथि को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता है जब तक कि मनमाना नहीं माना जाता है। इसलिए, एक कर्मचारी के लिए कार्य तिथि का अंतिम दिन क्या होगा, कार्य तिथि नियमों के शब्दों पर निर्भर करेगी। सवाल यह है कि क्या एक शिक्षक को विस्तारित अवधि का लाभ अगले वर्ष 30 जून तक मिलेगा यह 1 जुलाई को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने या न होने की सेवा स्थिति पर निर्भर करेगी। तत्काल मामले में क्योंकि अपीलार्थी का जन्म 1 जुलाई, 1943 को हुआ था, वह 30 जून 2003 की तारीख को सेवानिवृत्त होगा। [पैरा 8 और 9] [571-जी; 572-ए, बी, सी]

एस. बेनर्जी बनाम भारत संघ और अन्य।, [1989] एसयूपीपी 2 एससीसी 486, विशिष्ट।

खान चंद्र मधुव बनाम शिक्षा उप निदेशक, तृतीय प्रभाग, बरेली और अन्य।, (1993) 2 यूपीएलबीईसी 1128, अस्वीकृत।

2. एक व्यक्ति स्वचालित रूप से उस दिन सेवानिवृत्त हो जाता है। जिस दिन वह सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इस प्रकार के मामलों में लागू होते है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। निवेदन है कि अपीलार्थी सुनवाई का हकदार था मान्य नहीं है। क्योंकि मामला सेवा से सेवानिवृत्ति से संबंधित वैधानिक कानूनों पर निर्भर करता है। [पैरा 10] [572-ई, एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 5877/2007।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशेष अपील सं. 221/2004 में दिनांकित 08.09.2006 को पारित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए एस.सी. कुशवाहा और एस.के. नंदी।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया।

एस.बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. अनुदान के संबंध में नियम की व्याख्या और अनुप्रयोग 'सत्र' 'लाभ' के रूप में जाना जाने वाला लाभ इस अपील में शामिल प्रश्न है जो विशेष अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ विशेष अपील सं. 221/2004 से निर्णय और आदेश दिनांक 08.09.2006 से उत्पन्न होता है।

3. अपीलार्थी का जन्म 1 जुलाई, 1943 को हुआ था। उसे 21 जुलाई, 1975 को एक प्राथमिक विद्यालय जिसका नाम किशन पूर्व माध्यमिक विध्यालय, इटाली गजना, जिला जौनपुर में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। एक शिक्षक की सेवा के नियम और शर्तें निर्विवाद रूप से उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम, 1972 (संक्षेप में, '1972 अधिनियम') और राज्य के शासन के तहत बनाए गए नियमों में निहित शक्ति अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) जिसे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम, 1981 के रूप में जाना जाता है द्वारा नियंत्रित होती हैं। उक्त नियमों का नियम 29 निम्नलिखित शर्तों में सेवानिवृत्ति की आयु के लिए प्रावधान किया गया हैः

> "29. सेवानिवृत्ति की आयु- (1) प्रत्येक शिक्षक सेवा से सेवानिवृत्त महीने के अंतिम दिन दोपहर में जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है में होंगे:
>
> बशर्ते कि एक शिक्षक जो एक शैक्षणिक सत्र (1 जुलाई से 30 जून) के दौरान सेवानिवृत्त होता है, शैक्षणिक सत्र के अंत तक काम करना जारी रखेगा। शैक्षणिक सत्र, अर्थात 30 जून और सेवा की ऐसी अवधि इसे रोजगार की विस्तारित अवधि माना जाता है।"

शैक्षणिक सत्र को 1 जुलाई से 30 जून तक होने वाली अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है।

4. उच्च न्यायालय और साथ ही हमारे सामने के समक्ष याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि 28.02.2003 द्वारा जारी किए गए एक नोटिस के संदर्भ में प्राचार्य, किशन इंटर कॉलेज, इट्टेली, गुजाना, जौनपुर, उन्हें 1 जुलाई, 2003 को सेवा से सेवानिवृत्त होना था, और इस प्रकार, वह नियमों के नियम 29 के संदर्भ में 'सत्र' लाभ का हकदार था।

उक्त लाभ से उन्हें वंचित कर दिया गया था, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसे रिट याचिका सं. 21758/2003 के रूप में चिह्नित किया गया था। उक्त रिट याचिका को एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। उक्त उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने विवादित निर्णय के कारण उसी की पुष्टि की है।

5. इस प्रकार, अपीलार्थी हमारे सामने है।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एस.सी. कुशवाहा ने शुरुआत में एक निर्णय और दिनांकित आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जो कि 14 मई, 1993 को उक्त न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया, जो खान चंद्र मधु बनाम शिक्षा उप निदेशक, 3 आर.डी. डिवीजन, बरेली और अन्य।, (1993)

2 यूपीएलबीईसी 1128 में बताया गया है, जिसमें 5 जून 1987 के कथित परिपत्र पत्र मे उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए 1 जुलाई को अंतिम तिथि के रूप में समाप्त कर दिया गया था, इसे अधिकारित घोषित कर दिया गया। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस प्रकृति कि स्थिति मे सेवानिवृति कि तारीख 1 जुलाई मनी जानी चाहिए न कि 30 जून।

7. आयु निर्धारण के संबंध में प्रश्न एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। निर्विवाद रूप से, सहायक शिक्षक की सेवा के नियम और शर्तें शासित होती हैं। 1972 के अधिनियम के प्रावधानों और उप-धारा के तहत बनाए गए नियमों द्वारा (1) इसकी धारा 19। नियमों में 12 तारीख को या उसके आसपास संशोधन किया गया था। जून, 1989। नियम 29 के अनुसार, एक शिक्षक को उस तारीख को सेवानिवृत्त होना है। जिसे उसने महीने के अंतिम दिन 60 वर्ष पूरे कर लिए थे। जब व्यक्ति का जन्म हुआ था।

8. चूंकि अपीलार्थी का जन्म 1 जुलाई, 1943 को हुआ था, इसलिए वह 1 जुलाई, 1943 को सेवानिवृत्त होंगे 30 जून, 2003। सवाल यह है कि क्या उसे लाभ मिलेगा। 30 जून और अगले वर्ष तक सेवा की विस्तारित अवधि के लिए, यह स्थिति पर निर्भर करता है कि शिक्षक उस दिन या उसके बाद सेवानिवृत्त होता है या नहीं। 1 जुलाई या नहीं।

9. खान चंद्र मधु (सुप्रा) में, विद्वान न्यायाधीश आगे बढ़े। इस आधार पर कि शैक्षणिक सत्र 2 जुलाई को शुरू होता है और समाप्त 30 जून होता है।

सेवा की विस्तारित अवधि प्राप्त करने का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। एक कानून द्वारा? विधानमंडल को कट ऑफ तिथि तय करने का अधिकार है। एक कट ऑफ कानून द्वारा निर्धारित तिथि को तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता है। जब तक कि इसे मनमाना नहीं माना जाता है। अतः कर्मचारी की अंतिम कार्य तिथि क्या होगी? यह नियमों के शब्दों पर निर्भर करेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण लग सकता है कुछ लोग एक दिन के लिए सेवा की विस्तारित अवधि से चूक सकते हैं; लेकिन इसके लिए एक वैध प्रावधान को मानक पर अमान्य नहीं माना जा सकता है। इसलिए हम खान चंद्र मधु (सुप्रा) में लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं।

10. एस. बेनर्जी बनाम भारत संघ और अन्य, [1989] एसयूपीपी.2 एससीसी 486, जिस पर निर्भरता रखी गई है, तथ्य प्राप्त करने की स्थिति पूरी तरह से अलग थी। उस मामले में, अपीलार्थी ने एक आवेदन दायर किया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो 1 जनवरी 1986 की पूर्व संध्या से स्वीकार की गई थी, मामले के उस दृष्टिकोण में, वह वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुच्छेद 17.3 के तहत लाभ का हकदार पाया गया।

यह आग्रह किया गया था कि अपीलार्थी मामले के रूप में सुनवाई का हकदार था। सेवा से सेवानिवृत्ति से संबंधित वैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति स्वचालित रूप से उस दिन सेवानिवृत्त हो जाता है जिस दिन वह सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करता है। इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उनके जन्मदिन की सालगिरह से अगले दिन या दूसरे शब्दों में उम्र उस वर्षगांठ से एक दिन पहले। [रि.शूरी सेवरी बनाम शूरी (एल.आर. (1918) 1 सीएच.263) और रेक्स बनाम उपहास (एल.आर. (1930) 1 के.बी. 741)]।

11. प्रभु दयाल सेस्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 1948 में यह न्यायालय ने कहाः

> "किसी व्यक्ति की आयु की गणना करते समय, उसके जन्म के दिन को पूरे दिन के रूप में गिना जाना चाहिए और वह अपने जन्मदिन की सालगिरह से एक दिन पहले निर्दिष्ट आयु प्राप्त कर लेता है।"

12. हालाँकि, यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि वर्षगाँठ के संबंध में रे शुरे सेवरी (सुप्रा) में बताए गए सामान्य कानून नियम को परिवार कानून सुधार अधिनियम, 1969 के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। परिवर्तन का प्रभाव यह है कि, 1 जनवरी, 1970 के बाद आने वाली वर्षगाँठों का सम्मान करते हुए, जिस समय कोई व्यक्ति वर्षों में व्यक्त

एक विशेष आयु प्राप्त करता है, वह उसके जन्म की तारीख की प्रासंगिक वर्षगांठ की शुरुआत होती है। [हेल्सबरी के नियम, चौथा संस्करण पुनः जारी, पृष्ठ 209 देखें]। हमारे पास ऐसा कोई क़ानून नहीं है. इसलिए, हमें क्षेत्र में चल रहे क़ानून की कसौटी पर और उसके अभाव में सामान्य कानून सिद्धांत द्वारा मामलों का निर्धारण करना है।

13. उपरोक्त कारणों से, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। हालाँकि, चूंकि प्रतिवादी-राज्य की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

आर.पी. अपील खारिज है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विशाल भार्गव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।